

28/06/23

पत्रावली "प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2023" के अंतर्गत
में पेश हुई। वादी उपस्थित
हुआ। वादी ने वाद विज्ञो करने
बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया,
जिसमें शामिल मिसल किया गया।
वादी को सुना जाकर पत्रावली
का अवलोकन एवं मनन किया
गया। वादी के बहस एवं
पत्रावली पर अल्पकाल दस्तावेजों
के आधार पर प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाकर वाद
डिस्मि किया जाता है। पत्रावली
के मूल श्रुति एवं वाद
तकमील दारिखत दफ्तर है।

श्रीवश

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र. सं.

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

निर्णय "प्रशासन गाँवों में संगठन
अभियान २०२३" के रूप में अणतपुरा
में सुनाया जाकर मरे हस्ताक्षर
और न्यायालय मुद्रा से जारी
किया गया।

लगा